डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, पटना - 800 015
फोन : +91-612-2215805 (कार्या.)
फैक्स : +91-612-2217694
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

पत्र संख्या-एम-4-07/2018 7810 /वि०

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक- 23/10/18

विषयः- **GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति किये जाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक अधिप्राप्ति से सम्बन्धित मामलों में दक्षता, मितव्ययिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक दर एवं पारदर्शिता लाने, आपूर्त्तिकर्त्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार तथा लोक अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त विभागीय अधिसूचना 9230 दिनांक 27.11.2017 द्वारा GeM Portal पर सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में आवश्यक निदेश निर्गत किये गये है । वित्त विभागीय अधिसूचना 1407 दिनांक 22.02.2018 द्वारा दिनांक 01.04.2018 से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में GeM Portal पर सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति को अनिवार्य कर दिया गया है एवं निकट भविष्य में राज्य के सभी कार्यालयों में GeM से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति को अनिवार्य किये जाने की योजना है ।

अतः अनुरोध है कि GeM Portal के वेबसाईट पर निबंधन कराते हुए यथासंभव GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति आवश्यकतानुसार की जाय । निबंधन से संबंधित विस्तृत जानकारी उक्त Portal के वेबसाईट www.gem.gov.in पर उपलब्ध है । अधिक जानकारी के लिये विभाग के नोडल पदाधिकारी श्री उदयन मिश्रा, भा०प्र०से०, संयुक्त सचिव Mobile No.- 9470001713 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

विश्वासभाजन,

23/x/2018

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

Gautam/sec-4/68